प्रभात खबर - 19-06-15

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

वित्तीय वर्ष 2015-16 में इंदिरा आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु अग्रिम कार्य योजना

लाभार्थीगण कृपया निम्न बातों पर ध्यान दें

- इंदिरा आवास के लाभार्थियों का चयन स्थायी प्रतीक्षा सूची के आधार पर आरोही क्रम में किया जाता है।
- इंदिरा आवास की स्वीकृति के लिए आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। अतः लाभुक दलालों एवं बिचौलियों से सावधान रहें।
- वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए प्रतीक्षा सूची में से चयनित लाभुकों का आवास सॉफ्ट पर निबंधन प्रखण्ड कार्यालय द्वारा किया जाता है।
- आवास सॉफ्ट पर जिन लाभुक को निबंधित किया गया है उनके बैंक खाते को 31.03.15 से FREEZE किया गया है।
- भौतिक लक्ष्य के अनुसार सूचीबद्ध एवं आवास सॉफ्ट पर रजिस्टर किये गये लाभुक के घर (दरवाजे) पर निम्न प्रकार का सांकेतिक पेन्ट किया जायेगा:-

> वर्ष 2015-16 के लिए सूचीबद्ध
> लाभुक का नामः-
> बी.पी.एल. संख्याः-
> स्थानीय प्रतीक्षा सूची का क्रम संख्याः-

- वित्तीय वर्ष 2015-16 में सहायता राशि दो किस्तों में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं लेखा सहायक द्वारा e-FMS प्रणाली से सीधे लाभुक के बैंक खाते में भुगतान किया जायेगा।
- लाभुकों को इंदिरा आवास की स्वीकृति एवं सहायक राशि उपलब्ध कराने तथा आवास निर्माण में अपेक्षित सहयोग के लिए पंचायत स्तर पर 'ग्रामीण आवास सहायक' तथा प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के अतिरिक्त 'ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक' कार्यरत हैं।
- प्रथम किश्त की राशि से इंदिरा आवास एवं शौचालय का लिंटल लेवल तक मकान का निर्माण तथा द्वितीय किश्त की राशि से इंदिरा आवास एवं शौचालय का छत निर्माण कार्य एवं मकान को पूर्ण (Finishing) किया जाना होगा।
- प्रथम किश्त की सहायता राशि का उपयोग कर लेने के बाद ग्रामीण आवास सहायक की अनुशंसा पर लाभुकों को द्वितीय किश्त की सहायता राशि बैंक खाता में अंतरित की जायेगी।
- लाभुकों को इंदिरा आवास का निर्माण स्वयं करने के लिए मनरेगा योजना के तहत सामान्य जिलों में 90 (नब्बे) दिन एवं उग्रवाद प्रभावित जिलों में 95 (पंचायनवे) दिन के लिए अकुशल मजदूर के लिए तत्समय निर्धारित मजदूरी दर के आधार पर भुगतान भी अनुमान्य है। इस हेतु रोजगार सेवक से संपर्क करें।
- इंदिरा आवास के लाभार्थियों द्वारा आवास निर्माण के साथ-साथ शौचालय का निर्माण कराना आवश्यक है। शौचालय निर्माण एवं (जल संचयन की सुविधा सहित) पूर्ण होने पर अधिकतम अतिरिक्त 12,000 (बारह हजार) रुपये स्वच्छ भारत मिशन/मनरेगा से प्रदान किये जायेंगे।
- द्वितीय किश्त की राशि प्राप्त करने के 2 (दो) माह के अंदर आवास निर्माण पूर्ण करने वाले महादलित परिवारों को 'मुख्यमंत्री शताब्दी इंदिरा आवास प्रोत्साहन योजना' के तहत 2,000 (दो हजार) रुपये की अतिरिक्त राशि प्रोत्साहन स्वरूप लाभुक के बैंक खाता में अंतरित की जायेगी।
- लाभुकों को आवास का निर्माण सहायता राशि प्राप्ति के छः माह के भीतर पूर्ण कर लेना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि में आवास पूर्ण नहीं करने पर लाभुक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है तथा सम्पूर्ण सहायता राशि की वसूली भी की जा सकती है।
- इंदिरा आवास के लाभार्थी मकान के आगे एवं पीछे फलदार वृक्ष (विशेष रूप से नींबू एवं सहजन) लगावें।

निवेदक,
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना

पी.आर.नं. 3071 स. (ग्रा.वि.) 15-16